

88

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

दिनांक—29/06/18

विषय— श्री अमरेन्द्र पाठक द्वारा गोपालगंज जिलन्तर्गत ग्राम+पोस्ट— विजयपुर, मौजा—मिसिर, PWD पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.01275 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक — FC-614, दिनांक 19.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/27400/2017/2301, दिनांक 14.06.2018 द्वारा कुल 14 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.01275 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 7,982/- (सात हजार नौ सौ बीरासी रुपये) मात्र बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219927400894, कॉरपोरेशन बैंक, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 28.06.2018 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. CBINR52018062810005953 है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन पर उसका भुगतान करेंगे।
4. हरितावरण को बनाये रखने हेतु मेरे द्वारा कुल राशि रु० 5,13,120/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219927400894, कॉरपोरेशन बैंक, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 28.06.2018 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. CBINR52018062810005953 है (मूलप्रति संलग्न)।
5. मेरे द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर कॉरपोरेशन बैंक, New Delhi के खाता में दिनांक 28.06.2018 को जमा करा दी गयी है।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (C) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (d) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
11. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
12. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
13. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
14. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वन अच्छादन, वृक्ष संरक्षण एवं वन प्रावधान के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का पूरी तरह से अनुपालन करूंगी।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त

विश्वासभूमि, 23/06/18

श्री अमरेन्द्र पाठक,

पिता—स्व. कपिलदेव पाठक,

ग्राम+पो.—विजयपुर, तालुका—विजयपुर,

जिला—गोपालगंज, पिन—841508